कार्यालय मुख्य आयुक्त
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
39 / 1 सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

निविदा संख्याः 01 / 4(2)–वाहन / 2015 दिनाँकः 27 जुलाई 2015

::आयोग के कार्यालय प्रयोग हेतु किराये के वाहनों की आपूर्ति सम्बन्धी निविदा सूचना::

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून में विभिन्न स्तर के अधिकारियों हेतु डीजल / पेट्रोल चलित वाहनों को मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये पर लिए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु वर्ष 2015–16 के लिये देहरादून के अनुभवी व पंजीकृत ट्रेवल ऐजेन्सियों / फर्मो से निम्न शर्तों के अधीन मोहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है।

शर्तेः–

1. उपलब्ध कराये जाने वाला वाहन वर्ष 2013 के मेक मॉडल से पुराना न हो।
2. ड्राइवर, जिसके पास कॉमर्शियल लाईसेंस होना चाहिए, ट्रेवल ऐजेन्सी का होगा।
3. वाहन खराब होने / अनुपस्थित होने की स्थिति में दूसरा वाहन तुरन्त उपलब्ध कराना होगा।
4. मोटर अधिनियम के अर्न्तगत वाहन स्वामी समस्त औपचारिकतायें समय से स्वयं पूर्ण करेंगे।

विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त इच्छुक निविदादाता आयोग के कार्यालय से निविदा प्रपत्र तथा नियम व शर्तें रूपये 230.00 (रूपये दो सौ तीस मात्र) जमा कर दिनांकः 17.08.2015 तक किसी भी कार्यदिवस में सांय 4.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूपेण भरे हुए निविदा प्रपत्र –1 एवं 2 को सील्डबन्द लिफाफे में आयोग के कार्यालय में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से प्राप्त कराये जाने की अंतिम तिथि दिनांकः 20.08.2015 (सांय 5.00 बजे तक) निर्धारित की जाती है। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, और अंतिम निर्णय का अधिकार मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून को रहेगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(पंकज नैथानी)
सचिव